

पूर्वोत्तर सीमा रेल (निर्माण संगठन)

प्रेस विज्ञप्ति

मालीगांव: 1 अगस्त, 2019

श्री मोहन लाल, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण-2 की अध्यक्षता में क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक

पूर्वोत्तर सीमा रेल (निर्माण) की क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक 1 अगस्त, 2019 को श्री मोहन लाल, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण-2 पूर्वोत्तर सीमा रेल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/नि. 3, मुख्य राजभाषा अधिकारी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे। बैठक का शुभारंभ श्री बी. एन. भास्कर, मुख्य इंजीनियर/नि.-1 एवं मुख्य राजभाषा अधिकारी (नि.) ने उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुए किया। इस दौरान श्री भास्कर ने आलोच्य तिमाही के दौरान राजभाषा विभाग द्वारा निष्पादित किए गए कार्यों का संक्षिप्त ब्यौरा भी दिया। इसके अलावा बैठक के आरंभ में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण-2 महोदय ने कुल 3 विभागों एवं रंगिया फील्ड यूनिट द्वारा लगाए गए 'राजभाषा प्रदर्शनी' का अवलोकन किया जिसमें हिंदी में नोटिंग, उपस्थिति रजिस्ट्रों पर हिंदी में नाम, पदनाम के अलावा कई तरह के पत्राचार शामिल किए गए थे। इसके पश्चात त्रैमासिक संवाद-पत्र के 51वें अंक का विमोचन मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण-2 द्वारा उपस्थित अधिकारियों के साथ किया गया। इस अवसर पर हिंदी में सराहनीय कार्य करने के लिए श्रीमती मिलि चक्रवर्ती, कार्यालय अधीक्षक/कार्मिक विभाग को पुरस्कृत किया गया। इस बैठक में तिमाही प्रगति संबंधी पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण श्री एस. जे. मंडल, उप मुख्य राजभाषा अधिकारी/निर्माण ने किया जिस पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई और श्री मोहन लाल, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण-2 द्वारा महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए।



51वें त्रैमासिक संवाद-पत्र का विमोचन करते हुए श्री मोहन लाल, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/नि.-2

श्री मोहन लाल, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण-2 ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में कहा कि राजभाषा नियम-1976 के तहत सरकारी कार्यालयों में हिंदी में कार्य को बढ़ाना हमारा संवैधानिक दायित्व है। इस समिति की बैठक में नियमित रूप से चर्चा के द्वारा अधिकारियों और कर्मचारियों में राजभाषा हिंदी में कार्य करने के प्रति एक नई स्फूर्ति आएगी और संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन भी होगा। बैठकों एवं चर्चाओं आदि में हिंदी में बातचीत किए जाने को बढ़ावा देने से हिंदी का आधार व्यापक और मजबूत होगा। अपने कार्य क्षेत्र के उन स्थलों को चिन्हित करें, जहां हिंदी के प्रयोग में थोड़ी कमी रह गई है तथा उसे दूर करने हेतु निर्धारित लक्ष्य प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करें। वर्तमान समय में प्रतिदिन आ रहे तकनीकी क्षेत्रों में हिंदी के प्रचार-प्रसार को बढ़ाने हेतु निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है। इस तरह प्रतिदिन के कार्यालयीन कामकाज में हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग के द्वारा राजभाषा नियम के अनुपालन का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया जा सकता है। राजभाषा विभाग यह सुनिश्चित करे कि हिंदी का प्रचार-प्रसार केवल मुख्यालय तक ही सीमित न रहे, बल्कि फील्ड यूनिट के कार्यालयों में भी इसका व्यापक कार्यान्वयन सुनिश्चित करवाया जाए।

इस बैठक में राजभाषा के अलावा अन्य विषयों यथा "सूचना का अधिकार अधिनियम-2005" पर श्री सुबीर राय, उप मुख्य इंजी/नि/सुरंग द्वारा, "उम्मीद" विषय पर श्री ऋतुराज दास, सहायक कार्मिक अधिकारी/नि. द्वारा एवं "योजना विभाग के कार्य" विषय पर श्री हिमांशु गुप्ता, वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर/नि/योजना-1 द्वारा हिंदी में प्रस्तुतीकरण दिया गया जिसकी श्री मोहन लाल, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण-2 एवं श्री एच. एस. यादव, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण-3 ने काफी सराहना की और सरल हिंदी का प्रयोग करने का सुझाव दिया। इस बैठक का संपूर्ण संचालन श्री राजेश रंजन कुमार/निर्माण द्वारा किया /राजभाषा अधिकारी , गया और अंत में राजभाषा अधिकारी हुई। बाद ज्ञापन के बाद बैठक की कार्यवाही संपन्न/निर्माण द्वारा धन्य/

(एस. के. ओझा)

वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी/निर्माण

पूर्वोत्तर सीमा रेल, निर्माण संगठन, मालीगांव